संख्या: 02/2021/3780 /49-3-2020

प्रेषक:

एम0वी0एस0 रामी रेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषय: मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक धान खरीद हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के संबंध में यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पक्ष में रूपये 400.00 करोड़ की धनराशि शासकीय गारण्टी पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक : 735/क्र0वि0/प-6/फा, दिनांक 22.12.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक: पीसीएफ/ प्रा0स0/2020-21/6269, दिनांक 21.12.2020 में अंकित कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक धान खरीद हेतु यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पक्ष में रूपये 400.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) द्वारा अपने पत्रांक: IB-AB/LKO/2020-21/UPPCF/ 106, दिनांक 29.12.2020 में अंकित तथ्यों के आधार पर दी गई सहमति के दृष्टिगत इलाहाबाद बैंक से निर्धारित दर से ब्याज सहित ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु शासकीय गारण्टी उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक धान खरीद हेतु यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के पक्ष में रूपये 400.00 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि डब्ल्यू0सी0डी0एल0 4.00 प्रतिशत + 2.6 प्रतिशत (प्रभावी 6.60 प्रतिशत) के रेपो रेट की दर से स्टॉक एण्ड बुक डेट्स के सापेक्ष 10 प्रतिशत मार्जिन पर 06 माह के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन शासकीय गारण्टी इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) राष्ट्रीयकृत बैंक से ब्याज पर ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु जारी क्रय नीति में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
(2) निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की खरीद किये जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि धान का क्रय प्रत्येक दशा में वास्तविक किसानों से ही किया जाये तथा किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाये।
(3) धान की खरीद शत-प्रतिशत ऑनलाइन की जाये, सी0एम0आर0 का प्रेषण समय से भारतीय खाद्य निगम को करते हुए उपलब्ध धनराशि को यथा सम्भव री-साइकिलिंग (चक्रीय) किया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस बैंक से उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 द्वारा ऋण लिया जायेगा, उसके पक्ष में फेडरेशन द्वारा एस्क्रो खाता खोला जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम को धान का विक्रय करने से प्राप्त धनराशि उक्त एस्क्रो खाते में जमा की जायेगी। एस्क्रो खाते में जमा धनराशि से ऋण की अदायगी समय से सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया प्रकरण में तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश शासन के पत्र संख्या: 3780 /49-3-2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 पूर्व में निर्गत किया गया है, इसे शासनादेश संख्या: 02/2021/3780 /49-3-2020, दिनांक 11 जनवरी, 2021 के रूप में यथावत् पढ़ा जाये।

भवदीय,

एम0वी0एस0 रामी रेड्डी
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या: 02/2021/3780(1) /49-3-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ।
(8) सहायक महाप्रबन्धक, इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) मुख्य ब्रांच, लखनऊ।
(9) महाप्रबंधक, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 लखनऊ ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।